राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाश बनाम कजोड 681/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 14/05/2024 पारित करते हुये तहसीलदार जमवारामगढ़ को ग्राम नायला, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 96 खसरा नम्बर 184 रकबा 1.6820 हैक्टयर, खसरा नम्बर 301 रकबा 0.7082 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.3902 हैक्टेयर के सम्बन्ध में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक़ व हिस्से व कब्जे को मध्य नजर रखते हुये मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स अर्थात सरस-नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये | जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2025 पारित कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी एवं अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 4 ने लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया | अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस एवं रेस्पो. की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा तहसील से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से किया गया विभाजन न्यायोचित्त नही है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त सहकाश्तकारों का अलग-अलग खाता व लगान कायम नही किया गया है, जबकि विधि के प्रावधानों के अनुसरण में प्रत्येक सहखातेदार/काश्तकार का अलग-अलग खाता व लगान कायम कर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर रास्ते की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुये विभाजन किया जाना राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	कैलाश बनाम कजोड हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
681/2025		

आवश्यक था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटी किया जाना जाहिर होता है।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/03/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान की उपस्थिति में अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी (बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स) के आधार पर समस्त सहखातेदारान का हिस्सा व खाता अलग से प्रस्तावित करते हुये कुर्रेजात तैयार करवाया जाना सुनिश्चित कर, प्राप्त कुर्रेजात पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर